झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

पत्रांक: 3/पी॰एम॰सी॰/प्र0स्वी0–220/2014/ .... राँची, दिनांक:..........................

प्रेषक:

ई॰ मुक्ति साधन चौरसिया,
उप सचिव (अभि॰)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो॰–हिनू, रांची।

द्वारा: आंतरिक वितीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।

विषय: लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन, लघु सिंचाई प्रमंडल चाईबासा अंतर्गत प्रमंडलीय कार्यालय भवन के नव निर्माण कार्य हेतु लागत राशि 111.46 लाख (रूपये एक सौ ग्यारह लाख छियालिस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

1 लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन, लघु सिंचाई प्रमंडल चाईबासा अंतर्गत प्रमंडलीय कार्यालय भवन के नव निर्माण कार्य हेतु लागत राशि 111.46 लाख (रूपये एक सौ ग्यारह लाख छियालिस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2 प्रस्ताव में प्रमंडलीय कार्यालय भवन का नव निर्माण, जलापूर्त्ति एंव विद्युत कार्य एंव एक अदद् डीप बोरवेल का प्रावधान है।

3 प्रस्तावित कार्य पर होने वाला व्यय की राशि "मुख्य शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना उपशीर्ष–25–भवन/गोदाम एवं कार्यालय निर्माण एवं जीर्णोद्धार–विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण" 44 लघु निर्माण कार्य के अंतर्गत प्राप्त बजट उपबंध के अधीन विकलनीय होगा।

4 उपरोक्त कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, चाईबासा एंव नियंत्रण पदाधिकारी मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची होंगे।

5 प्रस्तावित कार्य वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रारम्भ कर वित्तीय वर्ष 2016–17 में पूर्ण किया जाएगा।

6 इसके कार्यान्वयन् में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन अनिवार्य होगा।

7 इस कार्य के राशि की निकासी चाईबासा कोषागार से की जाएगी।

8 प्रस्तावित कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में बजट उपबंध प्राप्त है।

9 किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

10 प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

11 स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

12 इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखण्ड सरकार के द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

13 झारखंड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/प्र0स्वी0–220/2014/ .... राँची, दिनांकः..........................
प्रतिलिपिः वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार /आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
अनु0ः–यथोक्त्।

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/प्र0स्वी0–220/2014/ .... राँची, दिनांकः..........................
प्रतिलिपिः कोषागार, पदाधिकारी, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
अनु0ः–यथोक्त्।

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/प्र0स्वी0–220/2014/ .... राँची, दिनांकः..........................
प्रतिलिपिः सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल चाईबासा/कार्यपालक अभियता, लघु सिंचाई प्र0 चाईबासा एवं प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
अनु0ः–यथोक्त्।

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/प्र0स्वी0–220/2014/ .... राँची, दिनांकः..........................
प्रतिलिपिः आयुक्त कोल्हान प्रमंडल चाईबासा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
अनु0ः–यथोक्त्।

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/प्र0स्वी0–220/2014/ .... राँची, दिनांकः..........................
प्रतिलिपिः माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
अनु0ः–यथोक्त्।

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/प्र0स्वी0–220/2014/ 18/15-16 प्र॰स्वी॰ .... राँची, दिनांकः 20.07.2015
प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर Upload करने हेतु प्रेषित।
अनु0ः–यथोक्त्।

(मुक्ति साधन चौरसिया) 20/7/15
उप सचिव (अभि॰)
20/07/15

3_220_2014_Aa